भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1383

(दिनांक 12.12.2023 को उत्तर देने के लिए)

प्रेस की स्वतंत्रता

1383. सुश्री एस. जोतिमणिः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्ष 2014 से देश में प्रेस की स्वतंत्रता में गिरावट आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) वर्ष 2014 से देश में कितने पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है;

(ग) वर्ष 2014 से देश में पत्रकारों की हत्या की घटनाओं का ब्यौरा और संख्या क्या है;

(घ) वर्ष 2014 से सरकार द्वारा पत्रकारों के विरूद्ध की गई डिजिटल डाटा खोज, जब्ती और छापे की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार देश में प्रेस की स्वतंत्रता में सुधार लाने के लिए कदम उठा रही है; और

(च) हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिष्ठापित है। सरकार का प्रयास प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना और संरक्षित करना है। यद्यपि, कुछ गैर-सरकारी संगठनों की रिपोर्टें हैं जो प्रेस की स्वतंत्रता पर भारत की रैंकिंग में कमी इंगित कर रही हैं लेकिन सरकार ऐसी रिपोर्टों से सहमत नहीं है क्योंकि वे कम नमूना आकार, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की अपर्याप्त मान्यता, गैर-पारदर्शिता, आदि पर आधारित हैं।

(ख) से (घ): संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और राज्य सरकारें अपराधों की रोकथाम, पता लगाने और जांच करने तथा अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) पत्रकारों/मीडिया कर्मियों के लिए अलग से डेटा नहीं रखता है।

(ङ) और (च): प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत एक सांविधिक स्वायत्त निकाय, भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) की स्थापना प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने और समाचार पत्रों के मानकों में सुधार करने के लिए की गई है। यह विधान के तहत, प्रेस की स्वतंत्रता में कमी, पत्रकारों पर हमले आदि से संबंधित शिकायतों की भी जांच करती है।

इसी प्रकार, टीवी और डिजिटल मीडिया पर समाचारों के लिए सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाली इन निकायों द्वारा स्व-विनियमन की व्यवस्था को मान्यता दी है।

*****